



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291]
No. 291]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2008/फाल्गुन 14, 1929
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2008/PHALGUNA 14, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2008

का.आ. 428(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली की धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम और नियमों के अंतर्गत ऐसी प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए तालिका के कालम (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में और केन्द्रीय सरकार या उक्त अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शक्ति प्राप्त अधिकारी द्वारा विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु, जल और मृदा या अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण कार्यों के लिए सरकारी विश्लेषणकर्ता के रूप में कालम 3 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को निम्न तालिका के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है, और उस प्रयोजनार्थ, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना का.आ. 1174(अ) में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामश :-

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका में,—

(i) क्रम सं. 3 एवं 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामश :-

तालिका

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषणकर्ता का नाम	लागू और कब तक मान्य
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	मै. भगवती अन्ना लैब्स लिमिटेड, 1-10-250, अशोक नगर, हैदराबाद-500 020	(1) श्री भगवती हरि बाबू (2) श्री ए. वी. हनुमन्त राव (3) श्री एम. वी. राधावाचारयुलु	03-03-2008 से 02-03-2013
4.	मै. प्रगति लैब्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर-8, टेम्पल रॉक इन्क्लेव, लिन्कवेल विलिडिंग की लेन के सामने, रेडी मैस लेन टरबन्ड 'एक्स' सिकन्दराबाद-500 009	(1) श्री मडाला रवि किरण (2) श्री एस. जगदेश (3) श्री जे. बी. नरसिंहा राव	03-03-2008 से 02-03-2013";

(ii) क्रम सं. 61 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी, नामशः—

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषणकर्ता का नाम	लागू और कब तक
(1)	(2)	(3)	(4)
"62.	मै. पोलिटेस्ट लेबोरेट्रीज 12-1467 सदाशिव पेठ, रेणुका स्वरूप लेन, पुणे-411030 महाराष्ट्र	(1) सुश्री स्मिता ए. कपाडने (2) श्री सचिन एच. कपाडे (3) सुश्री तनुजा एस. सारावडे	03-03-2008 से 02-03-2013
63.	मै अकांक्षा एनालिटिकल एण्ड रिसर्च लेब एस. नं.- 613, प्लॉट नं.-5, गंगा लैण्डमार्क रो हाउसेस के सामने, फेस-1, गंगा धाम, बिबवेवाडी, पुणे-411037 महाराष्ट्र	(1) सुश्री दर्शन एस. जनराव (2) श्री शिवाजी राम चन्द्र वरनुलकर (3) श्री सुनिल डी. दिवेकर	03-03-2008 से 02-03-2013।"

[फा. सं. न्यू-15018/7/2003-सीपीडब्ल्यू]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र असाधारण में सं. का.आ. 1174(अ), दिनांक 18 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में, अधिसूचना सं. का.आ. 1539(अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2007 और का.आ. 1811(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2007 और का.आ. 55(अ), दिनांक 9 जनवरी, 2008 के अंतर्गत इसे संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2008

S.O. 428(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and Section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby recognises the laboratories specified in column (2) of the Table given below as environmental laboratories to carry out the functions entrusted to such laboratories under the said Act and the rules made thereunder, and the persons specified in column (3) as Government Analysts for the purposes of analysis of samples of air, water, soil or other substances sent for analysis by the Central Government or the officer empowered under Section 11 of the said Act, for a period specified in column (4) of the Table aforesaid, and for that purposes makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007, namely :—

In the Table appended to the said notification :—

- (i) for serial numbers 3 and 4 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Laboratory	Name of the Government Analyst	Recognition with effect from and valid up to
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	M/s. Bhagavathi Ana Labs Limited 1-10-250, Ashok Nagar, Hyderabad-500020	(1) Mr. Bhagavathi Hari Babu (2) Mr. A. V. Hanumantha Rao (3) Mr. M. V. Raghavacharyulu	03-03-2008 to 02-03-2013
4.	M/s. Pragathi Labs and Consultants Private Limited, Plot Number 8, Temple Rock Enclave, Opposite Lane of Linkwell Building, Reddy Mess Lane, Tarbund 'X' Road, Secundrabad-500009	(1) Mr. Madala Ravi Kiran (2) Mr. S. Jagdesh (3) Mr. J. B. Narasinga Rao	03-03-2008 to 02-03-2013";

(ii) after serial number 61 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Name of the Laboratory	Name of the Government Analyst	Recognition with effect from and valid up to
(1)	(2)	(3)	(4)
62.	M/s. Polytest Laboratories, 12-1467, Sadashiv Peth, Renuka Swaroop Lane, Pune-411 030, Maharashtra	(1) Ms. Smita A. Kapadne (2) Mr. Sachin H. Kapade (3) Ms. Tanuja S. Saravade	03-03-2008 to 02-03-2013
63.	M/s. Akanksha Analytical & Research Labo, Serial Number 613, Plot Number 5, Opposite Ganga Landmark Row Houses, Phase-I, Ganga Dham, Bibwewadi, Pune-411037 Maharashtra	(1) Ms. Darshana S. Janrao (2) Mr. Shivaji Ramchandra Varnulkar (3) Mr. Sunil D. Divekar	03-03-2008 to 02-03-2013.”

[F. No. Q. 15018/7/2003-CPW]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 1174 (E), dated the 18th July, 2007 and subsequently was amended *vide* notification numbers S.O. 1539(E), dated the 13th September, 2007, S.O. 1811(E), dated the 24th October, 2007 and S.O. 55(E), dated 9th January, 2008.